महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

Website : hindivishwa.org

विद्या-परिषद की

30वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	16 अक्टूबर, 2019 (बुधवार)
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	महादेवी वर्मा सभागार विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा

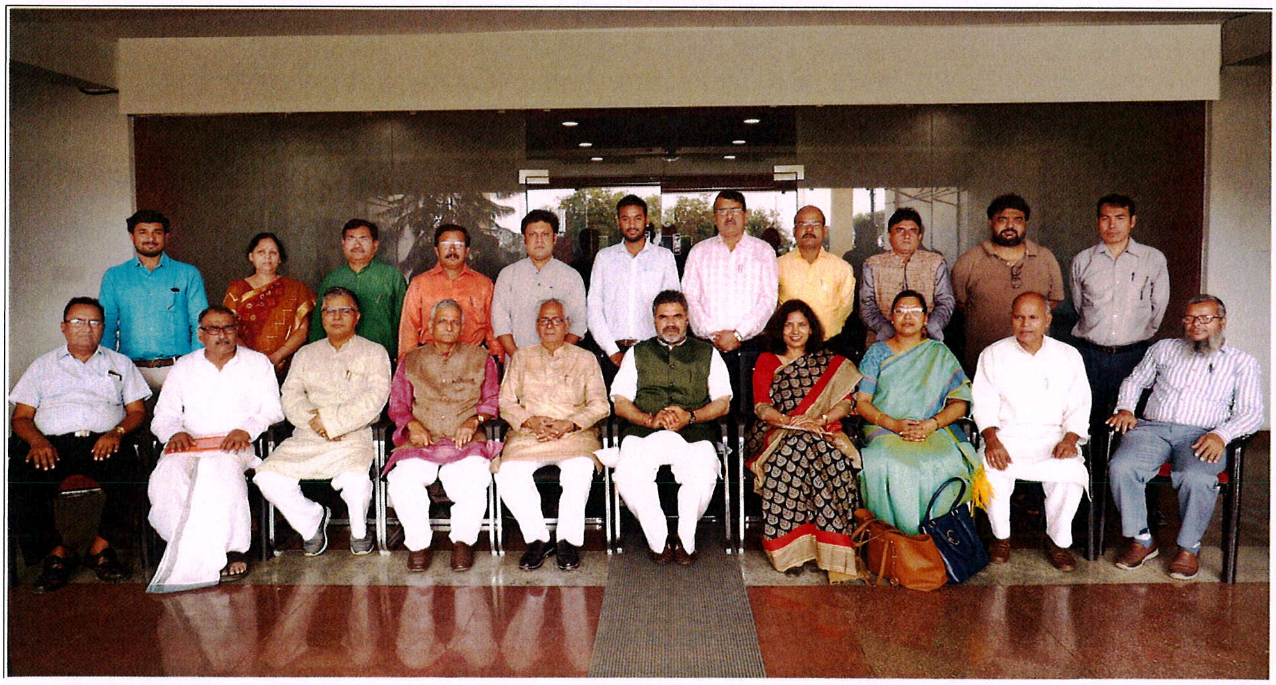

ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 16.10.2019 (बुधवार)

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

स्थान : महादेवी वर्मा सभागार, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

मद सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	नए सदस्यों का नामांकन एवं स्वागत	
1.	विद्या–परिषद की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि	2
2.	संज्ञानार्थ विषय	
3.	विद्या–परिषद में बाह्य विशेषज्ञ का सदस्य के रूप में नामांकन	
4.	विद्या–परिषद में भूतपूर्व विद्यार्थी को सदस्य के रूप में नामांकन	
5	क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद (प्रयागराज) में आगामी सत्र से हिंदी साहित्य तथा स्त्री अध्ययन में एम.ए., एम.फिल और पी–एच.डी प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव	3
6	शिक्षा विभाग में नए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (ITEP) के लिए शिक्षकों के पदों हेतु यूजीसी को प्रेषित प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति	
7.	अध्यापक शिक्षा विभाग की स्थापना	
8.	प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त	
9.	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
10.	साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त	4
11.	संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त	
12.	भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त	5

13. अध्यक्ष की अनुमति अन्य विषय

13.1	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के बैठक का कार्यवृत्त	5
13.2	दो विद्यापीठों के नामों में संशोधन	

13.3	सीबीसीएस (Choice Based Credit System) के पुनरीक्षण के लिये समिति का गठन	6
13.4	अकादमिक विसंगतियों के निराकरण हेतु अनुशंसा देने के लिये समिति का गठन	
13.5	छात्र प्रतिनिधि से प्राप्त सुझाव	

ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

विद्या–परिषद की 30वीं बैठक का कार्यवृत्त

विद्या–परिषद की 30वीं बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2019 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे साहित्य विद्यापीठ के महादेवी वर्मा सभागार, वर्धा में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति थी:

1.	प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल	कुलपति एवं अध्यक्ष
2.	प्रो. मनोज कुमार	अधिष्ठाता, विधि विद्यापीठ अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ अधिष्ठाता, प्रबंधन विद्यापीठ
3.	प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	अधिष्ठाता, भाषा विद्यापीठ अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ
4.	प्रो. प्रीति सागर	अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ
5.	प्रो. नृपेंद्र प्रसाद मोदी	अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ
6.	प्रो. कृपाशंकर चौबे	अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
7.	प्रो. कुमुद शर्मा	बाह्य विशेषज्ञ
8	प्रो. अवधेश प्रधान	बाह्य विशेषज्ञ
9.	प्रो. अनिल कुमार पाण्डेय	विभागाध्यक्ष, भाषाविज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग
10.	प्रो. विजय कुमार कौल	निदेशक, सूचना एवं अभियांत्रिकी केंद्र
11.	प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
12	प्रो. फरहद मलिक	विभागाध्यक्ष, मानव विज्ञान विभाग
13.	प्रो. अखिलेश कुमार दुबे	प्रोफेसर एवं प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र इलाहाबाद (प्रयागराज)
14.	डॉ. ओमप्रकाश भारती	विभागाध्यक्ष एवं एसोशिएट प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग

15.	डॉ. गोपाल कृष्ण ठाकुर	विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग
16.	डॉ. शिरीष पाल सिंह	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान एवं प्रबंधन विभाग
17.	डॉ. रवींद्र तु. बोरकर	क्षेत्रीय निदेशक / एसोशिएट प्रोफेसर
18.	डॉ. शोभा पालीवाल	अकादमिक संयोजक / एसोशिएट प्रोफेसर
19.	डॉ. अमित राय	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
20..	डॉ. अमरेंद्र कुमार शर्मा	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
21.	श्री संदीप सपकाले	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
22.	डॉ. शैलेश मरजी कदम	सहायक प्रोफेसर, दूर शिक्षा निदेशालय
23.	श्री वैभव उपाध्याय	छात्र प्रतिनिधि
24.	श्री गौरव कुमार	छात्र प्रतिनिधि
25	श्री क़ादर नवाज़ ख़ान	कुलसचिव एवं पदेन सचिव

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (f) के अंतर्गत कुलपति द्वारा नामित डॉ. ओमप्रकाश भारती, एसोशिएट प्रोफेसर तथा परिनियम 14 (1) (k) के अंतर्गत छात्र प्रतिनिधि के रूप में श्री वैभव उपाध्याय और श्री गौरव कुमार की विद्या–परिषद में सदस्यता से अवगत कराया गया तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रो. सदानंद गुप्त, प्रो. वृषभ प्रसाद जैन, प्रो. एल. कारूण्यकरा, प्रो. अवधेश कुमार व्यक्तिगत कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये।

मद संख्या –1

29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

विद्या–परिषद की दिनांक 04 मार्च 2019 को संपन्न 29वीं बैठक के कार्यवृत्त और निर्णयों के अनुसरण में की गई कार्रवाई का विद्या–परिषद ने संज्ञान में लिया तथा कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद संख्या–2

संज्ञानार्थ विषय

अकादमिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कुलपति महोदय की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों की हुई बैठकों में लिए गये निर्णयों एवं उसके अनुपालन में की गई कार्रवाई का विद्या–परिषद ने संज्ञान लिया।

मद संख्या–3

विद्या–परिषद में बाहय विशेषज्ञ का सदस्य के रूप में नामांकन

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (जे) के प्रावधान के तहत सर्वसम्मति से **प्रो. गोविन्द प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास** को पुनः दो वर्ष के लिए विद्या–परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया ।

मद संख्या–4

विद्या–परिषद में भूतपूर्व विद्यार्थी को सदस्य के रूप में नामांकन

विद्या–परिषद में भूतपूर्व विद्यार्थियों में से दो विद्यार्थियों को सदस्य नामित किये जाने के लिए परिपत्र क्रमांक : 003/2019/323/वि.प.–30(11)/2019, दिनांक : 14.10.2019 के माध्यम से समस्त अधिष्ठाताओं से उनके अधीनस्थ विभागों के दो भूतपूर्व विद्यार्थियों/शोधार्थियों का विवरण/आत्मवृत्त विद्या–परिषद की बैठक में लेकर आने का अनुरोध किया गया था

समस्त अधिष्ठाताओं द्वारा अपने अधीन विभागों के भूतपूर्व विद्यार्थियों के विवरण कुलपति महोदय को सौंपे गये तथा दो भूतपूर्व विद्यार्थियों को सदस्य के रूप में नामांकन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–5

क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद (प्रयागराज) में आगामी सत्र से हिंदी साहित्य तथा स्त्री अध्ययन में एम.ए., एम.फिल और पी–एच.डी प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, इलाहाबाद (प्रयागराज) के प्रभारी, प्रो. अखिलेश कुमार दुबे के निर्देशन में शोधरत शोधार्थियों को शोध जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई तथा संबधित विभाग के अधीन शिक्षक की पात्रता के अनुरूप पी–एच.डी संचालन की अनुमति दी गई।

यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय केंद्र में इस सत्र में नया पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किया जायेगा।

मद संख्या–6

शिक्षा विभाग में नए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम (ITEP) के लिए शिक्षकों के पदों हेतु यूजीसी को प्रेषित प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति

विश्वविद्यालय अधिनियम के बिंदु क्रमांक 27 (2) (26 के j और k) के प्रावधान के आलोक में नए अध्यापक शिक्षा विभाग खोलने के लिए कुलाध्यक्ष की पूर्वानुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–7

<u>अध्यापक शिक्षा विभाग की स्थापना</u>

विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन (PMMMNT) के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा विभाग और पाठ्यचर्या अनुसंधान नीति एवं शैक्षिक विकास केंद्र के स्थापना के लिए जारी अधिसूचना F.No. 006/2013/01/826 दिनांक 22.06.2018 को कुलाध्यक्ष की पूर्वानुमति प्राप्त होने तक स्थगित की जाये साथ ही विभाग की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के बिंदु क्रमांक 27 (2) (26 के j और k) के प्रावधान के आलोक में कुलाध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–8

<u>प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त</u>

प्रबंधन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 23 अगस्त, 2019 को संपन्न तीसरी बैठक के कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–9

<u>मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त</u>

मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 05.10.2019 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त को इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया कि जनसंचार विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिनांक 30.09.2019 की मद संख्या 4 में उल्लिखित शोध निदेशक के संबंध में जारी कार्यालयादेश 026/2018/पी–एच.डी./शो.नि.प./166/11, दिनांक 04.01.2019 को संशोधित करते हुए शोध निदेशक को मुक्त किया जाये।

मद संख्या–10

<u>साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त</u>

साहित्य विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–11

<u>संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

संस्कृति विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 10 अक्टूबर, 2019 को संपन्न 18वीं बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदित किया गया तथा संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत भारतीय दर्शन एवं संस्कृति विभाग प्रारंभ करने का प्रस्ताव परित किया गया। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के बिंदु

क्रमांक 27 (2) (26 के j और k) के प्रावधान के आलोक में कुलाध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–12

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की 16वीं बैठक का कार्यवृत्त

भाषा विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को संपन्न 16वीं बैठक का कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत भारतीय भाषा अध्ययन विभाग की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के विश्वविद्यालय अधिनियम के बिंदु क्रमांक 27 (2) (26 के j और k) के प्रावधान के आलोक में कुलाध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–13

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

13.1

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड के बैठक का कार्यवृत्त

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के स्कूल बोर्ड की दिनांक 14.10.2019 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त को मद संख्या 03 में इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि यह केंद्र मुख्यत: विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के सहकार से भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा अनुवाद एवं निर्वचन केंद्रित विषयों पर परानुशासनिक शोध एवं ज्ञान सर्जन के लिये कार्य करेगा जिसके लिए केंद्र से सम्बद्ध होने वाले संकाय सदस्य को अपनी कम से कम एक पी–एच.डी की सीट केंद्र में शोध के लिए समर्पित करनी होगी।

भाषा, साहित्य एवं संस्कृति केंद्रित परा–विद्या उच्च शोध एवं ज्ञान सृजन केंद्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम के बिंदु क्रमांक 27 (2) (26 के j और k) के प्रावधान के आलोक में कुलाध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवृत्त के शेष मद यथाप्रस्तावित अनुमोदित किये गये।

13.2

दो विद्यापीठों के नामों में संशोधन

1. प्रबंधन विद्यापीठ का नाम संशोधित कर 'अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ (School of Applied Science & Professional studies) करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
2. मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ के नाम में से 'मानविकी' शब्द को निरसित कर 'सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ (School of Social Science) करने का निर्णय लिया गया।

13.3 सीबीसीएस (Choice Based Credit System) के पुनरीक्षण के लिये समिति गठित करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

13.4 अकादमिक विसंगतियों के निराकरण हेतु अनुशंसा देने के लिये निम्नलिखित समिति गठित की गई :

प्रो. मनोज कुमार	अध्यक्ष
प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल	सदस्य
प्रो. कृष्ण कुमार सिंह	सदस्य
कुलसचिव	सदस्य

13.5 <u>छात्र प्रतिनिधि से प्राप्त सुझाव</u>

छात्र प्रतिनिधि श्री वैभव उपाध्याय और श्री गौरव कुमार ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों/शोधार्थियों से चर्चा कर दिये गये सुझावों के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये गये:

1. समस्त विद्यापीठों में स्थित पुस्तकालयों के लिए कर्मचारी आवंटित किये जायेंगे और पुस्तकालय प्रक्रिया संचालित की जायेगी।
2. विद्यापीठों के पुस्तकालय के सुचारू संचालन के लिये अधिष्ठाता संबंधित विद्यापीठ से एक–एक सहायक प्रोफेसर का नाम प्रस्तावित करेंगे।
3. बिंदु क्रमांक 2 पर उल्लिखित प्रावधान मात्र इसी सत्र के लिए लागू होगा
4. अगले सेमेस्टर से अर्न–बाई–लर्न योजना का क्रियान्वयन करने पर विचार किया जायेगा।
5. विश्वविद्यालय में राष्ट्र गौरव नाम से एक प्रश्न–पत्र शामिल करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
6. परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति में छूट देने के बारे में संकायाध्यक्षों की समिति में विचार किया जाये।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई ।

क़ादर नवाज़ 17/10/19

(क़ादर नवाज़ ख़ान)

कुलसचिव एवं पदेन सचिव : विद्या–परिषद

म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा